कार्यवृत्त

बुधवार, 24 माघ, शक संवत्, 1940
(दिनांक : 13 फरवरी, 2019)

खण्ड–53
अंक–3

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के सभी मा0 सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर प्रदेश में गन्ना किसानों के भुगतान में हो रहे विलम्ब के सम्बन्ध में दी गयी नियम–310 की सूचना पर चर्चा कराये जाने की मांग करने लगे। इस पर संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि आज की कार्यसूची में दो अलपसूचित प्रश्न गन्ना किसानों से सम्बन्धित हैं। उन पर चर्चा के समय विषय आ जायेगा। मा0 सदस्य श्री देशराज कर्णवाल ने कहा कि उनका प्रश्न भी गन्ना किसानों से सम्बन्धित है। इस पर विपक्ष के सभी मा0 सदस्य नियम–310 पर चर्चा कराये जाने की मांग को लेकर 'वेल' में आ गये और जोर–जोर से नारेबाजी करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान होने लगा।

श्री अध्यक्ष ने सभी मा0 सदस्यों को अपना स्थान ग्रहण करने का अनुरोध किया।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि पहले प्रश्नकाल होने दें परन्तु विपक्ष के मा0 सदस्य नियम–310 की सूचना लिये जाने की मांग पर बने रहे। श्री अध्यक्ष ने कहा कि वे नियम–310 की उक्त सूचना को नियम–58 की ग्राह्यता पर सुन लेंगे। परन्तु इस पर विपक्ष के मा0 सदस्य सहमत नहीं हुए और नारेबाजी करते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान होने लगा। नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर विपक्ष के सभी मा0 सदस्य पुनः नारेबाजी करते हुए 'वेल' में आ गये जिससे सदन में घोर व्यवधान होने लगा। श्री अध्यक्ष के बार–बार अनुरोध करने पर भी विपक्ष के सभी मा0 सदस्य 'वेल' में बैठकर नारेबाजी करने लगे।

इस पर श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिये स्थगित की।

11 बजकर 45 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन का स्थगन 11 बजकर 55 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया गया है।

11 बजकर 55 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन का स्थगन 12 बजकर 10 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया गया है।

सदन की कार्यवाही 12 बजकर 10 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

श्री अध्यक्ष जी के पीठासीन होते ही नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर विपक्ष के सभी मा0 सदस्य नियम–310 की सूचना पर चर्चा कराने की मांग को लेकर 'वेल' में आकर जोर–जोर से अपनी बात कहने लगे। इस पर श्री अध्यक्ष जी ने कहा कि वे उक्त सूचना को नियम–58 में सुन लेंगे किन्तु नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर विपक्ष के सभी मा0 सदस्य 'वेल' में आकर जोर–जोर से नारेबाजी करने लगे। जिससे सदन में व्यवधान होने लगा। **इस पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 15 मिनट पर 12 बजकर 20 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी।**

इसके साथ ही विपक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा सदन का परित्याग किया गया।

सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–300 के अन्तर्गत 13 सूचनायें प्राप्त हुई हैं वे इनमें से 07 सूचनायें स्वीकार कर रहे हैं। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

1. श्री भरत सिंह चौधरी — जनपद रूद्रप्रयाग एवं चमोली में राष्ट्रीय राजमार्ग – 58 पर हो रहे ऑल वेदर रोड़ के निर्माण कार्यों से प्रभावित परिवारों एवं काश्तकारों को अविलम्ब भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में।**(श्री अध्यक्ष द्वारा नाम पुकारे जाने पर मा0 सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)**

2. श्री गोपाल सिंह रावत — ऋषिकेश–चम्बा–धरासू–उत्तरकाशी मोटर मार्ग पर रतूड़ीसेरा में भागीरथी पर निर्माणाधीन मोटर पुल का पुनर्निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में । **(श्री अध्यक्ष द्वारा नाम पुकारे जाने पर मा0 सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)**

3. श्री धन सिंह नेगी — विधान सभा क्षेत्र टिहरी के चम्बा, काण्डाताल व नई टिहरी में पर्यटन की दृष्टि से ईको पार्क बनाये जाने के सम्बन्ध में। **(श्री अध्यक्ष द्वारा नाम पुकारे जाने पर मा0 सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)**

4. श्री सुरेन्द्र सिह नेगी — जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत उज्जवलपुर–डुंग्री–जसपुर मोटर मार्ग पर पड़ने वाली आटागाड़ नदी पर पुल निर्माण न होने से क्षेत्रीय जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**

5. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना — विधान सभा क्षेत्र सल्ट में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 10 वर्ष पूर्व स्वीकृत डामरीकरण हेतु देघाट–चिन्तोली मोटर मार्ग का डामरीकरण न होने से क्षेत्रीय जनता में व्याप्त भारी आक्रोश के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**

6. श्री बिशन सिंह चुफाल — जनपद पिथौरागढ़ के क्षेत्र छडनदेव में एन0 बी0 मिनरल कॉरपोरेशन द्वारा बिना भारत सरकार से पर्यावरणीय स्वीकृति लिये अवैध ढंग से किये जा रहे मैग्नेसाईट खनिज को रोकने हेतु कार्यवाही में हो रहे विलम्ब से क्षेत्रीय जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।
(पढ़ी हुई मानी गई।)

7. श्री राम सिंह कैड़ा — विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत ओखलकाण्डा ब्लाक के रा0 उ0 प्रा0 विद्यालय जाडापानी में पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष, 2018 के तृतीय सत्र में, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या–14 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड आर्थिक सर्वेक्षण 2018–19, खण्ड–1 को सदन के पटल पर रखा तथा उस सम्बन्ध में वक्तव्य दिया।

श्री धन सिंह नेगी, सदस्य विधान सभा द्वारा ''विधान सभा क्षेत्र टिहरी के कोटी कालोनी स्थित ईको पार्क का लम्बे समय से संचालन न होने के सम्बन्ध में'' श्री अमित मिश्रा, ग्राम व पो0 कोटी कालोनी, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री अध्यक्ष द्वारा आज की कार्यसूची की मद संख्या–07, 08 एवं 09 पर अंकित याचिका को उपस्थित करने हेतु मा0 सदस्य श्री देशराज कर्णवाल का नाम पुकारा गया किन्तु मा0 सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।

श्री धन सिंह नेगी, सदस्य विधान सभा द्वारा ''विधान सभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत भैतोगी खाला बागी भागीरथीपुरम का ट्रीटमेन्ट न कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री गम्भीर सिंह तोपवाल, ग्राम बांगी, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री राम सिह कैड़ा, सदस्य विधान सभा द्वारा ''विधान सभा क्षेत्र भीमताल ओखलकाण्डा ब्लाक के ग्राम सभा ल्वाड–डोबा में तिगोनिया से बनोलिया, लदवानी, ल्वाड–डोबा पेयजल लाईन जीर्ण–शीर्ण होने के सम्बन्ध में'' श्री प्रदीप मटियाली पुत्र श्री भीम सिंह, ग्राम ल्वाड–डोबा, पो0 हरीशताल, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री राम सिह कैड़ा, सदस्य विधान सभा द्वारा ''विधान सभा क्षेत्र भीमताल के भीमताल ब्लाक के ग्राम सभा पिनरो के छोटा कैलाश पेयजल योजना के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में'' श्री मनोहर पलेडिया पुत्र श्री नन्दराम पलेडिया, ग्राम पिनरो, पो0 बानना, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री राम सिह कैड़ा, सदस्य विधान सभा द्वारा ''विधान सभा क्षेत्र भीमताल के भीमताल ब्लाक के ग्राम सभा बानना के तोक वासा में प्रा0 वि0 वासा के भवन के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में'' श्री दीपक

शर्मा पुत्र श्री धरमानन्द, ग्राम व पो0 बानना, जनपद नैनीताल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री चन्दन राम दास, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा जिलाधिकारी एवं नगर पालिका परिषद, बागेश्वर के विरूद्ध दिनांक 07 दिसम्बर, 2017 को विशेषाधिकार हनन की सूचना दी है।

प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में माननीय शहरी विकास मंत्री के अर्द्ध0शा0प0स0–52/आई0वी0(3)/2018–9(4 नियम–65)/18, दिनांक 7 सितम्बर, 2018 द्वारा अवगत कराया गया है कि जिलाधिकारी बागेश्वर ने अपने पत्र संख्या 23/28–ए0आर0ए0/वि0स0/2017–18, दिनांक 17 मार्च, 2018 में उल्लेख किया गया है कि जिलाधिकारी कार्यालय स्तर पर उपलब्ध शासनादेश संख्या 243/xxxi (13)/G/08–39(2), दिनांक 19 जून, 2008 में शिलापटों पर स्थानीय विधायक का नाम अंकित किये जाने के संबंध में किसी भी प्रकार के दिशा–निर्देश का उल्लेख नहीं किया गया है। उक्त शासनादेश में दिये गये दिशा–निर्देशों के दृष्टिगत इस स्तर पर विशेषाधिकार हनन का कोई प्रकरण नहीं बनता है।

सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 19 जून, 2008 में प्राविधान है कि जिला योजना, राज्य योजना तथा केन्द्र पोषित योजना के अंतर्गत कराये जाने वाले विभिन्न कार्यों के शिलान्यास एवं उद्घाटन/लोकार्पण में स्थानीय माननीय सदस्य विधान सभा विशेष आमंत्रित के रूप में रहते हैं। शासन के पत्र संख्या –2269/iv(3)–2018–9 (4 नियम 65)2018, दिनांक 10 अगस्त, 2008 द्वारा जिलाधिकारी तथा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका बागेश्वर का सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 19 जून, 2008 द्वारा कार्यो के शिलान्यास एवं उद्घाटन/लोकार्पण के सम्बन्ध में निर्गत दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने के आदेश निर्गत किये गये है।

प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 20 सितम्बर, 2018 के उपवेशन में पीठ से निदेश दिये गये है कि संसदीय लोकतंत्र में सामान्य निर्वाचन के माध्यम से चुनकर आये जनप्रतिनिधियों का स्थान अद्वितीय है। वे सामूहिक रूप से विधान सभा का गठन करते हैं एवं बहुमत प्रणाली के आधार पर यह विधायी सभा ही सरकार की शक्ति का श्रोत है। किसी जनप्रतिनिधि का सम्मान मात्र व्यक्ति विशेष का न होकर उस जनमानस के प्रति सम्मान है। जिसका प्रतिनिधित्व विधायक के रूप में वे करते हैं। शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके कार्य में सुलभता एवं सुचारूपन हेतु जो शक्तियां प्रदान की गयी है उनका श्रोत भी विधायिका एवं उसके द्वारा पारित विधि, नियम तथा विनियम आदि ही हैं। किसी भी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा माननीय सदस्यों के प्रति असम्मान सहन नहीं किया जा सकता है। इस विषय में पूर्व में भी माननीय सदस्यों द्वारा इस सम्मानित सदन में विषय उठाया गया है। इस सम्बन्ध में मैं यथोचित प्रोटोकॉल और सम्मान दिये जाने हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं परन्तु इसके उपरान्त भी इस प्रकार के प्रकरणों की पुनरावृति अधिकारियों/कर्मचारियों की संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रति असंवेदनशीलता एवं उदासीनता को परिलक्षित करती ही है परन्तु इससे प्रदेश की सर्वोच्च पीठ द्वारा जनहित के कार्यों के लिए उन्हें सौंपी गयी शक्तियों का अतिक्रमण भी दिखायी देता है। संसदीय लोकतंत्र में इस प्रकार के आचरण का कोई स्थान नहीं है इस सम्मानित सभा के संरक्षण के मेरे सर्वाधित दायित्वों के निर्वहन में सदन तथा उसके सदस्यों के सम्मान की आवश्यकता के दृष्टिगत मैं सरकार तथा उसके अधिकारियों को निर्देशित करता हूं कि सदन तथा उसके सदस्यों को यथोचित प्रोटोकॉल एवं सम्मान मिले। इसके लिए एक समेकित संहिता/नियमावली प्रख्यापित करें, जिससे की इस प्रकार के प्रकरणों की पुनरावृत्ति न हो।

अतः उक्त के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही करने हेतु प्रमुख सचिव, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन को पत्र प्रेषित कर दिया गया है।

श्री चन्दन राम दास, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना तथा माननीय शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड से प्राप्त जानकारी के विश्लेषण के उपरान्त, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि प्रश्नगत प्रकरण में विशेषाधिकार अवहेलना का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में, मैं उपरोक्त सूचना को विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में अस्वीकार करता हूँ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, जनपद चमोली को समय पर पत्र भेजे गये आवेदनों के निराकरण हेतु स्मृति पत्रों की अवहेलना के संबंध में दिनांक 07 अक्टूबर, 2017 को विशेषाधिकार हनन की सूचना दी है।

प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गयी, उनके द्वारा सूचित किया गया है कि सन्दर्भित प्रकरण में जिलाधिकारी चमोली द्वारा पत्रांक 3462/सोलह–02/ (2017–18)/दिनांक 16 मार्च, 2018 के द्वारा यह आख्या उपलब्ध करायी गयी है कि माननीय विधायक जी द्वारा जिन 35 पत्रों पर जिलाधिकारी, चमोली के स्तर से कोई

कार्यवाही न किये जाने का उल्लेख किया गया है। उसके सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि इनमें से अधिकांश पत्र क्षेत्रीय जनता की समस्याओं से सम्बन्धित थे जो कि माननीय विधायक जी से पृष्ठांकित निर्देश के साथ जिलाधिकारी, चमोली को प्राप्त हुये हैं, जिस कारण उन्हें कार्यवाही हेतु सम्बन्धित विभागों को भेजा गया था। चूंकि वर्णित प्रकरण क्षेत्रीय जन समस्याओं यथा पेयजल, विद्युत, मोटर मार्ग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खडंजा, सी0सी0 निर्माण आदि मांग से सम्बन्धित हैं और इन मांगो पर विभागों द्वारा समुचित कार्यवाही किये जाने में समय का लगना स्वाभाविक है तथापि समय–समय पर माननीय सदस्य के पत्रों की जनपद स्तर पर बैठकों के दौरान गहन समीक्षा की जाती रही है और विभागीय अधिकारियों को अनुस्मारक भेजकर उनके विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर कार्यवाही कर अनुपालन से माननीय सदस्य विधान सभा जी के साथ ही जिलाधिकारी, चमोली को अवगत कराये जाने के निर्देश दिये जाते रहे हैं।

यह भी अवगत कराया गया है कि श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, माननीय सदस्य के पत्रों पर ही नहीं, बल्कि जनपद के अन्य दो माननीय विधायकों, माननीय सांसद तथा जनपद के अन्य जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों पर भी प्रभावी कार्यवाही की जाती रही है। श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी माननीय विधायक के द्वारा उल्लिखित 35 पत्रों पर की गई कार्यवाही का विवरण उपलब्ध कराया गया है। उक्त 35 पत्रों के अतिरिक्त भी माननीय विधायक द्वारा प्रेषित अन्य पत्रों पर भी समय–समय पर कार्यवाही कर उन्हें अवगत कराया जा रहा था।

उपरोक्त आख्या से स्पष्ट है कि मुख्य विकास अधिकारी, चमोली द्वारा माननीय विधायक जी के पत्रों पर समयान्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की गई, फलस्वरूप उनके विशेषाधिकार हनन का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

माननीय सदस्य द्वारा दी गयी सूचना तथा माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड से प्राप्त जानकारी के विश्लेषण के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि प्रश्नगत प्रकरण में विशेषाधिकार अवहेलना का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में, मैं उपरोक्त सूचना को विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में अस्वीकार करता हूँ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री देशराज कर्णवाल, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री सचिन चौधरी, जिलाध्यक्ष एन0एस0यू0आई0, जनपद हरिद्वार के विरूद्ध दिनांक 08 अप्रैल, 2017 को विशेषाधिकार हनन की सूचना दी गई है।

प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री के अर्द्ध0शा0प0स0 –2224/XX-3–2018–12(8)/2018, दिनांक 29 अक्टूबर 2018 द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री सचिन चौधरी, जिलाध्यक्ष एन0एस0यू0आई0 जनपद हरिद्वार के द्वारा जानबूझ कर माननीय विधायक जी के कार्यों के निर्वहन में अवरोध उत्पन्न करने की नियत से माननीय सदस्य जी की मानहानि, जान से मारने की धमकी देने एवं माननीय सदस्य पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने से हुए विशेषाधिकार हनन के सम्बन्ध में दिनांक 04 अगस्त, 2018 को वादी श्री देशराज कर्णवाल, माननीय सदस्य, झबरेड़ा विधान सभा की तहरीरी सूचना पर अभियुक्तगण द्वारा वादी से अनुचित लाभ की मांग करना, मांग पूरी न होने पर फेसबुक के माध्यम से वादी को जान से मारने की धमकी देना एवं उद्यापन आदि का प्रसारण कर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0–188/2017 धारा–384, 153ए, 506 भा0द0वि0(1)10 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट बनाम 01–सचिन चौधरी पुत्र श्री ओम कुमार व अन्य के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया। उक्त अभियोग की प्रारम्भिक विवेचना क्षेत्राधिकारी मंगलौर द्वारा की गयी। तदोपरान्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार के आदेश दिनांक माह अगस्त, 2017 द्वारा उक्त अभियोग की विवेचना क्षेत्राधिकारी मंगलौर से श्री मनोज कत्याल पुलिस उपाधीक्षक यातायात, हरिद्वार के सुपुर्द की गयी, विवेचक द्वारा विवेचना नामित मोहित, आशीष, अंकित, आर्यन की नामजदगी साक्ष्य अभाव में पृथक की गयी व अभियोग में धारा 3 (1) 10 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट का लोप कर धारा 3(1)द, ध एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में तरमीम किया। अभियोग में नामित सचिन चौधरी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल से गिरफ्तारी स्टे प्राप्त किया गया, तत्पश्चात् विवेचक द्वारा उक्त अभियोग की तमामी विवेचना से उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त सचिन चौधरी उपरोक्त के विरूद्ध धारा–384, 506, 153ए भा0द0वि0 व धारा– 3 (1) द, ध एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत आरोप पत्र संख्या– 152/2017, दिनांक 27 सितम्बर, 2017 को माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

श्री देशराज कर्णवाल, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना तथा माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड से प्राप्त जानकारी के विश्लेषण के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि प्रश्नगत प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में, मैं उपरोक्त सूचना को अस्वीकार करता हूँ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य–मंत्रणा समिति ने दिनांक 12 फरवरी, 2019 की बैठक में दिनांक 13 फरवरी, 2019 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:–

13 फरवरी, 2019
विधायी कार्य–

1. उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2019 का विचार एवं पारण । **(15 मिनट)**
2. हिमालयीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 का विचार एवं पारण। **(30 मिनट)**

(शेष कार्यक्रम यथावत रहेगा।)

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से सहमत है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–58 के अन्तर्गत 04 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं वे इनमें से श्री हरीश सिंह, श्रीमती ममता राकेश तथा श्री प्रीतम सिंह पंवार की सूचना को नियम–58 में ग्राह्यता पर सुन रहे हैं।

श्री हरीश सिंह तथा श्रीमती ममता राकेश का नाम पुकारे जाने पर वे सदन में उपस्थित नहीं थे।

जिला चिकित्सालय बौराड़ी टिहरी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देवप्रयाग तथा वेलेश्वर जनपद टिहरी गढ़वाल के चिकित्सकों के स्थानान्तरण व समायोजन के कारण उत्पन्न स्थिति विषयक सूचना की ग्राह्यता के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह पंवार ने विचार व्यक्त किए। संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि हिमालयीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–54 तक खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि हिमालयीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

01 बजकर 07 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही भोजनावकाश हेतु 03:00 बजे तक के लिये स्थगित की।

सदन की कार्यवाही मा0 उपाध्यक्ष जी की अध्यक्षता मे 03:00 बजे पुनः आरम्भ हुई।

श्री उपाध्यक्ष के पीठासीन होते ही मा0 सदस्य कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन'' ने सदन की कार्यवाही में विपक्ष द्वारा व्यवधान डालने के लिये उनके विरूद्ध निन्दा प्रस्ताव पास किये जाने की मांग की। मा0 सदस्य श्री संजय गुप्ता तथा श्री देशराज कर्णवाल ने भी उनका समर्थन किया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि माननीय सदस्यों की पीड़ा जायज है। मा0 सदस्यों की भावनाओं व जनहित के विषय व्यवधान की वजह से रह गये हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल के अपने कार्यक्रम होते हैं। निन्दा प्रस्ताव विशेष परिस्थितियों में लाया जाता है। वे मा0 सदस्यों से आग्रह करेंगे कि वे इतना कठोर निर्णय न लें। इस पर मा0 सदस्य कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन'' ने सहमति प्रकट की।

मा0 सदस्य श्री विनोद कण्डारी द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा मा0 सदस्य श्री मुन्ना सिंह चौहान के भाषण से आरम्भ हुई:–

''यह सदन माननीय राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2019 को दिये गये अभिभाषण के लिये कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।''

निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया :–

1. श्री महेन्द्र भट्ट
2. श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी

3. कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''
4. श्रीमती मुन्नी देवी शाह
5. श्री दलीप सिंह रावत
6. श्री विनोद चमोली
7. श्रीमती मीना गंगोला

04 बजकर 46 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए।

8. श्री केदार सिंह रावत
9. श्री सहदेव सिंह पुण्डीर

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी रहेगी।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा क्षेत्र में जहरीली शराब पीने के कारण हुई मृत्यु तथा आनुषंगिक विषयों के सम्बन्ध में उनके द्वारा जो समिति गठित की गई है। उस समिति के सदस्यों के नाम निम्न प्रकार होंगेः–

1. श्री खजान दास – सभापति,
2. श्री सुरेश राठौर, सदस्य,
3. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य,
4. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य,
5. श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य,
6. श्री राजकुमार, सदस्य,
7. श्री मुकेश सिंह कोली, सदस्य।

समिति इस सत्र के अन्तिम उपवेशन से पूर्व ही अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–53 के अन्तर्गत कुल 07 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। वे इनमें से :–

मा0 सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना की सूचना जो जनपद अल्मोड़ा के सल्ट विधान सभा क्षेत्र में भांग की खेती बन्द किये जाने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में है, को नियम– 53 के अंतर्गत वक्तव्य के लिए तथा

मा0 सदस्य श्री चन्दन राम दास की सूचना जो प्रदेश में बी0पी0एड0 शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में है, को नियम– 53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

सदन की कार्यवाही 05:00 बजकर 10 मिनट पर दिनांक 15 फरवरी, 2019 तक के लिये स्थगित हुई।

जगदीश चन्द्र
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,
प्रेमचन्द अग्रवाल
अध्यक्ष,
विधान सभा।